टी०ए० मिस केस सं० 274/2018-19

दिनांक	टादेश	अभ्युक्ति
07/09/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका **गोरबारी बिरूवा, पति— स्व० रायगुरू बिरूवा,** ग्राम— **जयपुर, थाना— हाटगम्हरिया** जिला— पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा— **जयपुर, थाना— 429,** खाता नं०— 157, प्लॉट क्रमशः— 2812, 2813, 2932, क्रमश रकवा —0.34, 0.54, 0.10 एकड़, कुल रकवा— 0.98 एकड़ भूमि क्रेता **भगवान लागुरी, पिता— श्री महेन्द्र लागुरी,** ग्राम— **जयपुर,** थाना— **हाटगम्हरिया** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया अंचल अधिकारी, **हाटगम्हरिया** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संवंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदिका के दादी सास के नाम पर खातियान में दर्ज है।आवेदिका का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी, **हाटगम्हरिया** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक— 222, दिनांक—. 27.08.2019 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एंव अन्य धरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू—खण्ड को क्रेता **भगवान लागुरी, पिता— श्री महेन्द्र लागुरी, ग्राम— जयपुर, थाना— हाटगम्हरिया,** के पास० 2,00,000.00/—(दो लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **हाटगम्हरिया** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 5.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदिका के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू—सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, **हाटगम्हरिया** एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में आवेदिका **गोरबारी बिरूवा, पति— स्व० रायगुरू बिरूवा,** ग्राम— **जयपुर** क्रेता **भगवान लागुरी, पिता— श्री महेन्द्र लागुरी,** ग्राम— **जयपुर,** थाना— **हाटगम्हरिया** के पास 2,00,000.00/—(दो लाख) रूपये मे मौजा— **जयपुर,** थाना— 429, खाता नं०— 157, क्रमशः प्लॉट :— 2812, 2813, 2932, क्रमश रकवा— 0.34, 0.54, 0.10, कुल रकवा— 0.98 एकड भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित। [signature] 7/9/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। [signature] 7/9/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner